प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ़ ।

क्रमांक: दिनांक:

विषय:— डा0 बी0आर0अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना में संशोधन करने बारे।

उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 247—स.क.(1)—2017 दिनांक 28.02.2017 के संदर्भ में ।

2. हरियाणा के राज्यपाल महोदय द्वारा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति तथा टपरीवास जाति के लिए कार्यान्वित की जा रही डा0 बी0आर0अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली 25000/—रुपये की राशि को बढ़ा कर 50,000/—रुपये करने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई है कि वर्ष 2018—19 में उपलब्ध बजट से अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाएगी ।

3. स्कीम की अन्य टर्मज़ एण्ड कन्डीशनज़ यथावत् रहेंगी ।

4. यह स्वीकृति वित विभाग के अशाः क0 02/06/2016—5 एफ0जी0—II/5341 दिनांक 03.07.2018 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है ।

Sd.
अधीक्षक,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

पृ0क0\ 1034-SW-(1)2018 दिनांक: 10.7.2018

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ ।
2. महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ ।
3. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में ।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

......जारी.......

5. उपनिदेशक (स्कीम), अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
6. अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
7. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

Raghubir Singh

अधीक्षक,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़ ।

एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा क्र 02/06/2016-5 एफ0जी0-II/5341 दिनांक 03.07.2018के संदर्भ में प्रेषित है ।

-Sd.-
अधीक्षक,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़ ।

सेवा में

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

अशाः क्र०

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

कमांक : 247–स.क.(1)–2017
दिनांक : 28.02.2017

विषयः– **अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एंव टपरीवास जाति के लिए चलाई जा रही डा. बी.आर. अम्बेडकर आवास योजना के स्थान पर डा0बी.आर.अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना आरम्भ करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

स्कीम का नाम

"डा0बी.आर.अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना" (हिन्दी में)

"Dr.B.R.Ambedkar Housing Nweenikaran Yojana (in English)"

उद्देश्य

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एंव टपरीवास जाति के व्यक्तियों को, जिनका मकान मुरम्मत लायक हो गया हो उनको अनुदान उपलब्ध करवाना है ।

टर्मज़ एण्ड कण्डीशन्ज

1. प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी तथा अनुसूचित जाति/विमुक्त एंव टपरीवास जाति से सम्बन्धित होना चाहिए ।
2. प्रार्थी का नाम बी.पी.एल. की सूची में होना चाहिए । जिस मकान की मुरम्मत की जानी है, वह प्रार्थी के नाम होना चाहिए तथा उसे बने हुए कम से कम दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है ।
3. प्रार्थी द्वारा मुरम्मत के लिए हरियाणा के किसी भी विभाग से पहले अनुदान नहीं लिया होना चाहिए ।
4. आवेदन पत्र में प्रार्थी द्वारा आधार नम्बर अवश्य दिया जाए ।

वित्तीय विविक्षा

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के ऐसे लोगों को, जिनको किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वंय के निर्मित मकान को बनाए हुए दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है तथा मकान मुरम्मत करने के लायक हो गया है तो उसे 25,000/–रुपये की अनुदान राशि एक बार दी जाएगी तथा यह राशि उन्ही लाभार्थियों को दी जाएगी जिनके आवेदन पत्र में आधार नम्बर होगें ।

1. राशि सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी की सिफारिश पर जिला कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी।
2. प्रार्थी को राशि उसके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाएगी ।
3. प्रार्थी द्वारा राशि प्रयोग करने उपरान्त प्रयोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जाएगा।

4. जिस उद्देश्य के लिए प्रार्थी को राशि दी गई है यदि प्रार्थी द्वारा इस राशि का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता तो सरकार को यह राशि As arrear of land revenue के रुप में वसूल करने का अधिकार है।

अनुदान स्वीकृत करने की प्रकिया

विभाग द्वारा अनुमोदित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र आंमत्रित किए जाएगें तथा सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की वैरीफिकेशन करने उपरान्त अपनी सिफारिश दी जाएगी । सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी अनुदान स्कीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होगा ।

वर्तमान में डा0बी.आर.अम्बेडकर आवास योजना का खर्च जिस शीर्ष में से किया जाता है उसी शीर्ष में से केवल इस स्कीम का नाम बदल कर खर्च वहन किया जाएगा ।

अधीक्षक
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

पृ. कमांक : 247–स.क.(1)–2017 दिनांक : 28.02.2017

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. महालेखाकार, (लेखा एंव हकदारी), हकदारी, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
3. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में ।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।
5. उपनिदेशक(स्कीम), अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।
6. अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जातियां एंव पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।
7. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

Raghu bir Singh
अधीक्षक
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनकी मंत्रणा अशाः कमांक 2/6/2016–5एफ.जी.–II/3294 दिनांक 20.2.2017 के संदर्भ में प्रेषित है ।

अधीक्षक
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

अशा. कमांक : 247–स.क.(1)–2017 दिनांक : 28.02.2017

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़।

सेवा में

निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़।

क्रमांक स–3/2017/5441
दिनांकः 8-3-17

विषयः– **डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना वर्ष 2016–17 बारे ।**

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र कमांक 247–स.क.(1)2017 दिनांक 24–08–2017 के

सन्दर्भ में ।

जैसा कि सरकार द्वारा उक्त योजना दिनांक 28–02–2017 से लागु कर दी गई है। सरकार ने इस पर पुनः विचार करते हुए तय किया है कि स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी करते समय विधवा, बेसहारा, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन व जिनके पास केवल लडकियां हो, ऐसे आवेदकों को प्राथमिकता दें । इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ मकान का फोटो तथा मकान मुरम्मत पर होने वाला अनुमानित खर्चा भी प्राप्त करें। मकान मुरम्मत के बाद भी मकान का फोटो अवश्य लेकर कार्यालय रिकार्ड में लगाये।

इन आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाये ।

विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़

पृष्ठाकन क्रमांक स–3/2017/5442-62 दिनांक 8-3-17

इसकी एक प्रति सभी जिला कल्याण अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग
कल्याण विभाग।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा।

यादी कमांक 270–स.क.(1)–2020
दिनांक 18.03.2020

विषयः– **विभागीय स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त योग्य आवेदन पत्रों पर तत्परता से कार्यवाही करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

इस विभाग की डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एंव विमुक्त/टपरीवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को उनके रिहायसी मकान की मरम्मत के लिए 50,000/– रूपये का अनुदान दिया जाता है बशर्ते की उनका रिहायसी मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना हो और मरम्मत योग्य हो। इसके लिए ऑनलाईन आवेदन के साथ मकान के मालिकाना हक का प्रमाण लगाया जाना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे में आने वाले मकानों का उनके मालिकों के पास मालिकाना हक का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता इसलिए प्रार्थी पटवारी द्वारा तस्दीक किया हुआ मालिकाना हक प्रमाण सलग्न करतें है। इस मामले पर विचारापरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भवष्यि में प्रार्थी द्वारा इस स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन के साथ पटवारी की बजाय सम्बन्धित ग्राम सचिव द्वारा तस्दीक किया हुआ मालिकाना हक का प्रमाण स्वीकार किया जाए।

Raghubir Singh
अधीक्षक (स.क.)
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

पृ0क्र0: 270–स.क.(1)–2020 दिनांकः 18.03.2020

इसकी एक प्रति राज्य के सभी जिला कल्याण अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है:–

Sd/-
अधीक्षक (स.क.)
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।